भारत सरकाररेल मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 4065**

03.05.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर

**नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उजागर की गई सुरक्षा संबंधी कमियां**

**4065. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या अगस्‍त, 2012 को संसद में प्रस्‍तुत किए गए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) के प्रतिवेदन में रेलवे में सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में उजागर की गई अनेक कमियों के मद्देनजर उनका उन्‍नयन करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्‍या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सुरक्षा संबंधी निधियां कम उपयोग, वर्षों पुराने इंजनों के प्रयोग तथा सुरक्षा संबंधी अभियानों के अभाव आदि के संबंध में व्‍यक्‍त किए गए शंकाओं को दूर करने के लिए पिछले आठ माह के दौरान कोई महत्‍वपूर्ण सुधार किए गए हैं;

(ग) वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के दौरान सुरक्षा संबंधी उपायों हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(घ) क्‍या उक्‍त धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था अथवा उनका कम उपयोग किया गया?

उत्‍तर

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अधीर रंजन चौधरी)**

1. से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उजागर की गई सुरक्षा संबंधी कमियों के संबंध में 03.05.2013 को राज्‍य सभा में श्री विजय जवाहरलाल दर्डा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 4065 के भाग (क) से (घ) तक के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) अगस्‍त, 2010 के दौरान संरक्षा उपायों के उन्‍नयन, आदि के संबंध में कमियों को उजागर करने वाली भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद में रखा गया था। रेल मंत्रालय ने रिपोर्ट में उजागर कमियों को दूर करने के लिए पहले ही पर प्रभावी उपाय कर लिए थे और इस संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को अवगत भी करा दिया गया था।

(ख) बेहतर परियोजना निगरानी और प्राथमिकता के आधार पर समपारों और ऊपरी/निचले सड़क पुलों के सड़क संरक्षा कार्यों को स्‍वीकृति देने के कारण संरक्षा निधि की उपयोगिता में निरंतर सुधार आया है। गैर-मरम्‍मत योग्‍य इंजन आयु एवं हालत के आधार पर नकारा घोषित किए जाते हैं और सेवा में नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की खराबी और संरक्षा नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर्मचारियों की विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए सरंक्षा अभियान शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है। क्षेत्रीय रेलों पर नियमित रूप से संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान संरक्षा उपायों के लिए आबंटित धन का विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2009-10 | - | 31609 करोड़ रूपए (बअ) |
| 2010-11 | - | 31628 करोड़ रुपए (बअ) |
| 2011-12 | - | 34724 करोड़ रुपए (बअ) |

(घ) धन उपयोगिता (वास्‍तविक) का विवरण नीचे दिया गया है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2009-10 | - | 28996.72 करोड़ रुपए |
| 2010-11 | - | 28434.80 करोड़ रुपए |
| 2011-12 | - | 30654.05 करोड़ रुपए |

\*\*\*\*\*